जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर रोड, खण्डवा (म.प्र.)

फोन 0733 - 2222733 फैक्स 0733- 2223863

E-mail- jskbkhandwa@gmail.com

"सर्व जन हिताय"

क्रं0 / लेखा / ब्याजदर / 2023 / 5735 दिनांक–10.03.2023

प्रति,

शाखा प्रबंधक,

शाखा.......................................(समस्त)

विषयः– **सावधि निक्षेपों की ब्याज दरों में संशोधन बाबत्।**

संदर्भः– क्रं0 / लेखा / ब्याजदर / 2022 / 5107 / दिनांक–01.02.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से सावधि अमानत की ब्याज दरों का निर्धारण किया गया था। अन्य व्यावसायिक बैंकों की ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुये बैंक प्रशासकीय कमेटी की चलित बैठक दिं.–06.03.2023 के निर्णयानुसार सावधि निक्षेप की ब्याज दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है।

1. सावधि निक्षेप की ब्याज दरें दि. 10.03.2023 से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

क्रं	सावधि निक्षेप समयावधि	संशोधित ब्याज दर नियमानुसार न्यूनतम राशि से अधिकतम राशि तक
1	15 दिन से 45 दिन तक	4.00%
2	46 दिन से 90 दिन तक	5.00%
3	91 दिन से 180 दिन तक	5.50%
4	181 दिन से 364 दिन तक	6.25%
5	1 वर्ष एवं 02 वर्ष से कम तक	7.25%
6	2 वर्ष एवं 03 वर्ष से कम तक	7.00%
7	3 वर्ष से 10 वर्ष से तक	7.00%
8	रिवाल्विंग फण्ड, बेड डेट फण्ड, रिस्क फण्ड, स्पेशल बेड डेट फण्ड	7.00%
9	जमा अमानत कर्मचारी (CSD)	8.00%
10	कॉल डिपाजिट पैक्स एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के लिये	7.00%

.2... कृ.पृ.उ.

.2..

1. बैंक से संबंद्व पैक्स को एक वर्ष एवं उससे अधिक अवधि के जमा पर 1/2% (आधा प्रतिशत) अधिक ब्याज दिया जावेगा।
2. वरिष्ठ नागरिकों को बैंक के पूर्व परिपत्रों के अनुसार एक वर्ष से अधिक की नवीन मियादी जमाओं एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही सामान्य प्रचलित सावधि निक्षेप ब्याज दर से 1.00 (एक) प्रतिशत अधिक ब्याज दर देय होगी। इस हेतु जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/पेन कार्ड/मार्कशीट इत्यादि) लिया जाना होगा।
3. बैंक के कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम से एफडी/डीडी राशि जमा करने पर या संयुक्त खातेदार होने पर प्रथम एवं द्वितीय नाम कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी का होने पर ही 1% (एक प्रतिशत) अधिक ब्याज दिया जावें साथ ही कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी/पति को 1% (एक प्रतिशत) का लाभ दिया जावें।
4. सीनियर सिटीजन 1% (एक प्रतिशत) एवं बैंक कर्मचारियों को 1% (एक प्रतिशत) अधिक दी जा रही ब्याज दर में से कोई एक ही लाभ दिया जावें (दोनों में से एक)। बैंक कर्मचारियों को निर्धारित दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज बैंक पत्र क्रं. /लेखा/07/7977/दिनांक 13.03.2007 के निर्देशों के अनुरूप दिया जाना होगा।

उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें दिनांक–<u>10.03.2023</u> से नई सावधि जमा राशियों एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही लागू होगी। ब्याज दरों में किये गये परिवर्तन संबंधी सूचना शाखा के सूचना पटल पर लगाई जावें तथा शाखा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
दिनांक–10.03.2023

क्रं0/लेखा/ब्याजदर/2023/5735
प्रतिलिपिः–

1. सीबीएस कक्ष प्रमुख की ओर आई.आर. डालने हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी